जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना अफजलगढ　　　　　**दिनांक 08.09.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 267/24 धारा 87/64/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.08.2024 को वादिनी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि वादिनी की पुत्री के साथ अभियुक्त मोहम्मद उमर पुत्र सत्तार निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा गलत कार्य किया गया व अभियुक्तगण खलील, वीदा, जाफरा व नासरा के साथ मिलकर वादिनी की पुत्री का जबरदस्ती गर्भपात कराया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 267/24 धारा 87/64/89/115(2)/352/351(3)/61(2) बीएनएस बनाम मोहम्मद उमर सहित 05 अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 89/115(2)/352/61(2) बीएनएस का लोप किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 08.09.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहम्मद उमर पुत्र सत्तार निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहम्मद उमर पुत्र सत्तार निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना प्रभारी अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.वरि0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3.का0 175 शुभम कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल **दिनांक – 08.09.2024**

थाना नांगल पुलिस ने 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 07.09.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा ग्राम संगुरपुर बहेडा नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति जो सफेद रंग की एक्सट्रीम बाइक रजि0नं0 UP20CD8984 पर आये, जिन्हे रोका गया तथा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त अनमोल दहिया पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस एवं अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम जमालपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के कब्जे से एक देशी पिस्टल 32 बोर व 08 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 147/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम अनमोल आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया व घटना में प्रयुक्त एक्सट्रीम बाइक रजि0नं0 UP20CD8984 को मौके पर ही सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.जितेन्द्र पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम जमालपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.अनमोल दहिया पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस

एक देशी पिस्टल 32 बोर व 08 जिन्दा कारतूस 32 बोर

अभियुक्त जितेन्द्र का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 425/23 धारा 3(1)घ / 3(1)द / 3(v)(a) एससी/एसटी एक्ट व 323/504/506 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 1247/2023 धारा 147/323 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 916/2022 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 740/2024 धारा 115(2)/324(1)/324(4)/324(5)/351(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 552/2024 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

6.मु0अ0सं0 147/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर

अभियुक्त अनमोल का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 125/2020 धारा 3(1)घ/3(1)द/307/34/504/506 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 695/2024 धारा 15(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 740/2024 धारा 115(2)/324(1)/324(4)/324(5)/351(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 147/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सोनू थाना नांगल जनपद बिजनौर

2.कां0 156 रोहित थाना नांगल जनपद बिजनौर

3.कां0 299 सोनू थाना नांगल जनपद बिजनौर

4.कां0 1211 संजय थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर **दिनांक 08.09.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 352/24 धारा 118(1)/351(3)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.09.2024 को वादी श्री जबर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त उमेश धोबी पुत्र जोहर सिंह निवासी ग्राम झीरन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व उसके एक अज्ञात साथी ने वादी के पुत्र के साथ पुरानी कहासुनी को लेकर गाली गलौच की गई व किसी धारदार हथियार से वार कर वादी के पुत्र को चोटिल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 0352/24 धारा 118(1)/352/351(3) बीएनएस बनाम उमेश धोबी व एक व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 08.09.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त उमेश धोबी पुत्र जोहर सिंह निवासी ग्राम झीरन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक चापड सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियोग में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 109 बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उमेश धोबी पुत्र जोहर सिंह निवासी ग्राम झीरन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक चापड

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उमेश उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 352/24 धारा 118(1) /351(3)/352/109 बी0एन0एस0 थाना नूरपुर
2. मु0अ0स0 63/2024 धारा 376/506/120बी भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट थाना नूरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी सचिन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 08.09.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गये मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.09.2024 को वादी श्री मौ0 शाहवेज पुत्र नफीस अहमद निवासी कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि दिनांक 06.09.2024 को रिहान उर्फ चीन पुत्र इकबाल निवासी मौ0 नेजोसराय कस्बा व थाना नहटौर बिजनौर ने वादी की दुकान से एक की-पैड फोन आईटेल कम्पनी का चोरी कर लिया है, जोकि वादी ने एक दिन पहले ही नया खरीदा था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 323/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम रिहान उर्फ चीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 08.09.2024 को थाना नहटौर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रिहान उर्फ चीन पुत्र इकबाल निवासी मौ0 नेजोसराय कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी किया गाय मोबाईल फोन बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिहान उर्फ चीन पुत्र इकबाल निवासी मौ0 नेजोसराय कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मोबाइल फोन की पैड आई.टेल कम्पनी

अभियुक्त रिहान उर्फ चीन का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 251/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 258/2023 धारा 379/411 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 323/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सुमित कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 797 सचिन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.कां0 2353 कपिल कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4.कां0 1939 रवि कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 08.09.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किया गया बैटरा व मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.09.2024 को वादी श्री आन्नद कुमार पुत्र भगवाना सिंह निवासी ग्राम जलालपुर सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि वादी का महिन्द्रा 575 DI ट्रेक्टर घर के बाहर खडा था । दिनांक 07.09.2024 को प्रातः उठकर देखा तो रात्रि में किसी समय अज्ञात चोरों ने वादी के ट्रेक्टर पर लगा एमरॉन कम्पनी का काले रंग का बैटरा चोरी कर लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 186/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 08.09.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण जितेन्द्र उर्फ टिंकू पुत्र करन निवासी स्योरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर व लवकुश पुत्र गंगा प्रसाद निवासी जलालपुर सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया बैटरा (रंग काला एमरॉन कम्पनी) व चोरी की एक बाईक बरामद की गयी । बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 261/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

जितेन्द्र उर्फ टिंकू पुत्र करन निवासी स्योरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर

लवकुश पुत्र गंगा प्रसाद निवासी जलालपुर सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी किया गया बैटरा (रंग काला एमरॉन कम्पनी)

चोरी की मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मिलाप सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 96 अर्जुन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

3.कां0 1816 सुमित नैन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद दिनांक- 08.09.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने लूट की दो घटनाओं का अनावरण करते हुए दो अभियुक्तो को लूटे गए मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.09.2024 को वादी भूदेश कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार निवासी ग्राम भोगपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि वादी अपनी दुकान से अपने घर ग्राम भोगपुर जा रहा था तो ग्राम मलूक वाले नाले के पास पीछे से अभियुक्त विक्रान्त पुत्र मनवीर सिंह निवसी ग्राम पूरनपुर गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व दो अज्ञात लडके बिना नम्बर प्लेट की स्पेलण्डर बाइक पर आये तथा वादी से मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी) छीनकर भाग गए।

तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 452/2024 धारा 392 भादवि बनाम विक्रान्त व दो अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्तगण 1.गौरव पुत्र होरी सिंह 2.ऋतिक उर्फ रानू पुत्र काले निवासीगण ग्राम पूरनपुर गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाहीः-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.विक्रान्त पुत्र मनवीर सिंह व 2.गौरव पुत्र होरी सिंह निवासीगण ग्राम पूरनपुर गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग से संबंधित छीने गए एक मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पेलण्डर रजि0 नं0 UP20CK-0617 सहित गिरफ्तार किया गया। अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई।

पूछताछ विवरण

अभियुक्तगण से की गई पूछताछ मे यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण विक्रान्त व गौरव अपने दोस्त ऋतिक उर्फ रानू के साथ मिलकर लूट / चोरी की घटनाएं करते है तथा जो माल मिलता है उसे आपस में बांट लेते है। कुछ समय पहले उनके द्वारा लूट की योजना बनाई और लूट करने के लिये विक्रान्त ने अपने दोस्त सादिक पुत्र मो0 सरदार निवासी मौहल्ला जरूफसजान कस्बा साहनपुर से एक तमन्चा 12 बोर मांग लिया था तथा लूट करने के उद्देश्य से विक्रान्त ने अपनी मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर यूपी 20CK-0617 की नम्बर प्लेट को बदल लिया। योजनानुसार विक्रान्त, गौरव व ऋतिक उर्फ रानू द्वारा थाना मण्डावली क्षेत्र के ग्राम चौहडखाता के पास एक व्यक्ति से उसका सैमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन व 11,000/- रूपये लूट लिये **(इस संबंध में थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 134/24 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है)** तथा उसी दिन थाना नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम मलूकवाली के नाले के पास एक व्यक्ति से वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन भी छीना गया था। छीने गए सैंमसंग कम्पनी के मोबाइल को 5000/- रूपये मे ग्राम पूरनपुर गढी थाना नजीबाबाद के रहने वाले अनस पुत्र गुलाम सरवर

को बेच दिया गया। लूटे गई नगदी व मोबाइल को बेचकर प्राप्त पैसो को तीनो ने आपस में बराबर बांट लिया। लूटे गया वीवो कम्पनी के मोबाइल को विक्रान्त ने अपने पास रख लिया। लूट की घटना के बाद तमन्चे को विक्रान्त ने सादिक को वापस दे दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. विक्रान्त पुत्र मनवीर सिंह निवासी पूरनपुर गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. गौरव पुत्र होरी सिंह निवासी पूरनपुर गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1. लूटा गया वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन
2. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पेलण्डर रजि0 नं0 UP20CK-0617

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विक्रान्त व गौरव उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 452/2024 धारा 392/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0स0 134/24 धारा 392 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री मनवीर सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.का0 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.का0 2043 रोहित चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 08.09.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 75 किलोग्राम भैंसवंशीय मांस व घटना में प्रयुक्त 02 ई-रिक्शा सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

दिनांक 07.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण साकिर पुत्र शमसू निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व कासिम पुत्र नसीरूददीन निवासी अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को दो ई-रिक्शा रजि0नं0 UP20AT8491 व UP20AT6522 में 75 किलोग्राम भैंसवंशीय मांस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व अवैध मांस की बरामदगी के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 455/24 धारा 325/271/272 बीएनएस बनाम साकिर आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया। बरामद ई-रिक्शाओं को अंतर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने 02 अन्य साथियों तसलीम पुत्र जमील व अजीम पुत्र तसलीम निवासीगण मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के साथ मिलकर ग्राम पीपली जट के जंगल मे भैंस का कटरा काटना बताया। अभियुक्त तसलीम व अजीम की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1- साकिर पुत्र शमसू निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2- कासिम पुत्र नसीरूददीन निवासी अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

75 किलोग्राम भैंसवंशीय मांस
02 ई-रिक्शा रजि0नं0 UP20AT8491 व UP20AT6522

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. कां0 1244 अनुज बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 2309 किशनकान्त दुबे थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. कां0 1504 अनिल दयाल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना **दिनांक 08.09.2024**

थाना नगीना पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गई दो ई-रिक्शा सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.09.2024 को वादी श्री मेघराज सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी त्रिलोकवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति (सवारी) द्वारा उसे समोसे व कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया तथा वादी की ई-रिक्शा चोरी कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 259/24 धारा 303(2)/123 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.09.2024 को ही एक अन्य वादी श्री विजयपाल पुत्र श्री लिल्ला सिंह निवासी ग्राम हसन अलीपुर भोगन थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति (सवारी) द्वारा वादी को कोई नशीला पदार्थ मिलाई हुई कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया तथा वादी की ई-रिक्शा चोरी कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 260/24 धारा 303(2)/123 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोगो की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त अनुज चौहान पुत्र श्री कुशलपाल सिंह निवासी ग्राम समसपुर सद्दो थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 08.09.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनुज चौहान पुत्र श्री कुशलपाल सिंह निवासी ग्राम समसपुर सद्दो थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को चोरी की गई दो ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनो अभियोगो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धी की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनुज चौहान पुत्र श्री कुशलपाल सिंह निवासी ग्राम समसपुर सद्दो थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

चोरी की दो ई-रिक्शा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनुज उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 259/24 धारा 303(2)/123/317(2) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 260/24 धारा 303(2)/123/317(2) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 638 अंकित थाना नगीना जनपद बिजनौर।
3. का0 2553 विशाल थाना नगीना जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 08.09.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने 05 अभियुक्तों को चोरी किये गये विद्युत उपकरणों सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.08.2024 को वादी श्री परवीन सिंह पुत्र स्व0 भारत सिंह निवासी ग्राम भगोडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि दिनांक 10.08.2024 की रात्रि में अज्ञात अभियुक्तों ने वादी की ट्यूबवैल से पानी निकासी की मोटर चोरी कर ली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 402/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 03.09.2024 को वादी श्री अंकित कुमार पुत्र सतवीर सिंह निवासी ग्राम थुरैला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि दिनांक 14.08.2024, 15.08.2024 व 19.08.2024 की रात्रि में कई ट्यूबवैलों के ताले तोडकर अज्ञात चोरों द्वारा मोटर चोरी की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 449/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तगण 1.विजयपाल पुत्र सिकन्दर 2.रूपसिंह पुत्र लाखन सिंह 3.पवन पुत्र ब्रहमपाल 4.छोटू पुत्र नुनु निवासीगण ग्राम गोयली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 5.कलवा उर्फ कल्लन निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गयी एक विद्युत मोटर, तांबे व एल्यूमीनीयम का मोटर तार, 02 बण्डल केबिल तार व एक मोटरसाइकिल सूपर स्पलेण्डर रजि0सं0 UP20BQ8003 बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.विजयपाल पुत्र सिकन्दर निवासी ग्राम गोयली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.रूपसिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम गोयली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.पवन पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम गोयली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

4.छोटू पुत्र नुनु निवासी ग्राम गोयली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

5.कलवा उर्फ कल्लन निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक विद्युत मोटर, तांबे व एल्यूमीनीयम का मोटर तार, 02 बण्डल केबिल तार व एक मोटरसाइकिल सूपर स्पलेण्डर रजि0सं0 UP20BQ8003

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.का0 2302 दिनेश बंसल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.हो0गा010319 शेर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

4.हो0गा010375 चमन सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावली **दिनांक 08.09.2024**

थाना मण्डावली पुलिस द्वारा लूट की घटना से संबंधित मोबाइल फोन सहित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.09.2024 को वादी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल सिंह निवासी ग्राम झण्डी चौड उतरी कोतवाली कोटद्वार उत्तराखण्ड ने थाना मण्डावली पर तहरीर दी कि दिनांक 31.05.2024 को नजीबाबाद से वापस आते समय जंगल ग्राम चौहड खाता के पास स्पलेण्डर बाइक सवार 03 अज्ञात लडके वादी से उसका मोबाइल फोन (सैंमसंग कम्पनी) व जेब मे रखे 11000/- रूपये छीनकर भाग गए।

तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 134/24 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर एक बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही विवरण –

आज दिनांक 08.09.2024 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को उपरोक्त लूट की घटना से संबंधित मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी) सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता-

एक बाल अपचारी

बरामदगी विवरण-

लूट की घटना से संबंधित सैमसंग कम्पनी का एक मोबाइल फोन।

पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री महेशचन्द थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

2.का0 1380 इमरान थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

3. का0 2432 दीपक कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद **दिनांक 08.09.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण –

जनपद में अवैध शस्त्रो के निर्माण/बिक्री/परिवहन व अपने साथ अवैध शस्त्रो को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त सादिक पुत्र मौ0 सरदार निवासी मौ0 जरूफसजान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 454/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सादिक पुत्र मौ0 सरदार निवासी मौ0 जरूफसजान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1. एक अवैध तमन्चा 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 मनवीर सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. का0 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. का0 2043 रोहित चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर **दिनांक 08.09.2024**

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 428/24 धारा 74/351(2)/352/115(2)/191(2) बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.09.2024 को वादिनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मोहन उर्फ डैनी पुत्र बब्लू निवासी ग्राम मटौरा दर्गा थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ अश्लील हरकत की गयी तथा वादिनी के द्वारा इसका विरोध करने पर मोहन उपरोक्त के परिजनों के द्वारा उसके व उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 428/2024 धारा 74/351(2)/352/115(2)/191(2) बी0एन0एस0 व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम बनाम मोहन आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहन उर्फ डैनी पुत्र बबलू निवासी ग्राम मटौरा दर्गा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहन उर्फ डैनी पुत्र बबलू निवासी ग्राम मटौरा दर्गा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री ललित मोहन थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2- हे0का0 859 संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3- का0 2515 मनीष कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना रेहड   दिनांक 08.09.2024

थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 105/2024 धारा 74 बी0एन0एस0 व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.09.2024 को वादी ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि अभियुक्त गुफरान पुत्र छोटे निवासी ग्राम भगतावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड की गई । इस संबंध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 105/2024 धारा 74 बी0एन0एस0 व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना रेहड पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गुफरान पुत्र छोटे निवासी ग्राम भगतावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुफरान पुत्र छोटे निवासी ग्राम भगतावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री बृजपाल सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर

2. का0 19 केशव कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर

3. म0का0 736 आरती थाना रेहड जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 08.09.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	थाना स्योहारा	प्रयान्शु उर्फ गोविन्दा पुत्र राकेश निवासी शिवाजी मार्केट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2	थाना स्योहारा	जामिन पुत्र मुन्ना निवासी मौ0 पीर का बाजार कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3	नजीबाबाद	नसीम पुत्र सफदर निवासी ग्राम लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4	नजीबाबाद	उस्मान पुत्र मुशब्बर निवासी ग्राम लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5	नजीबाबाद	सलीम पुत्र सफदर निवासी ग्राम लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6	धामपुर	सईद पुत्र बाबू निवासी मौ0 पक्का बाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर
7	धामपुर	इसरार पुत्र स्व0 इस्माइल निवासी ग्राम बन्दुकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
8	बढापुर	पवन पुत्र अतर सिंह निवासी निवासी ग्राम सारंगवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर
9	बढापुर	अरविन्द पुत्र अतर सिंह निवासी निवासी ग्राम सारंगवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर
10	बढापुर	हरिश पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम सारंगवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर

थाना स्योहारा

थाना नजीबाबाद

थाना धामपुर

थाना बढापुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम **दिनांक – 08.09.2024**

थाना साइबर क्राइम पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साइबर फ्रॉड से प्राप्त 1,64,000 /- रुपये, 48 मोबाईल फोन एवं भारी मात्रा में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक / चैकबुक / डेबिट कार्ड आदि अन्य प्रपत्र बरामद किये व 3,90,000 /- रुपये खाते में फ्रीज कराये।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.08.2024 को वादी श्री राजेश कुमार खरे, क्षेत्रीय प्रबंधक मेरठ बैंक ऑफ बडौदा ने थाना साइबर क्राइम पर तहरीर दी कि बैंक की एक शाखा शेरों वाली कोठी, बिजनौर में है। दिनांक 09.08.2024 को बैंक की शाखा प्रबंधक श्रीमती शैलजा सिंघल के मोबाइल पर एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने अपना नाम विवेक चौधरी हुंडई मोटर्स, बिजनौर का मालिक बताते हुए बैंक शाखा में तीन करोड रुपये की एफ0डी0आर के तौर पर निवेश करने का झांसा दिया गया तथा दिनांक 12.08.2024 को बैंक की ई-मेल आईडी पर मेल की गयी कि उसकी चैक बुक खत्म हो गयी है तथा तत्काल पैसे भेजने का अनुरोध करते हुए 02 RTGS ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 9,88,500 /- (नौ लाख अठ्ठासी हजार पाँच सौ रुपये) अन्य खातों में ट्रांसफर करा लिये गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 318(4) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.धर्मवीर पुत्र देवीदीन निवासी मकान नं0 591 ग्राम बम्हौरी बेलदारान थाना चरखारी जनपद महोबा हाल निवासी डी-48 मुख्यमार्ग गोकुलपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली व 2.बंटी पुत्र राजकुमार निवासी म0नं0 179 गली नं0 1 नई सभापुर गुजरान करावल नगर उत्तर पूर्वी दिल्ली का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

थाना साइबर क्राइम पुलिस व स्वाट / सर्विलांस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1.धर्मवीर पुत्र देवीदीन निवासी मकान नं0 591 ग्राम बम्हौरी बेलदारान थाना चरखारी जनपद महोबा हाल निवासी डी-48 मुख्यमार्ग गोकुलपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली व 2.बंटी पुत्र राजकुमार निवासी म0नं0 179 गली नं0 1 नई सभापुर गुजरान करावल नगर उत्तर पूर्वी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 48 मोबाईल फोन, 18 आधार कार्ड, 05 पैन कार्ड, 05 बैंक पासबुक, 09 बैंक चैकबुक, 03 पहचान पत्र, 16 बैंक डेबिट कार्ड, 01 डोंगल, 584 पासपोर्ट साइज फोटो, 13 ड्राईविंग लाईसेन्स, 30 मोबाईल सिमकार्ड, 02 माईक्रो एसडी कार्ड, 01 पम्पलेट व एक लाख चौसठ हजार रूपये नगद बरामद किये गये तथा 03 लाख 90 हजार रुपये फ्रीज कराये। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग जनता के सीधे सादे लोगो को मोबाईल फोन से कॉल करते है और लोन दिलाने की बात कहकर उनका नया बैंक खाता खुलवाकर बैंक पासबुक व एटीएम कार्ड अपने पास रख लेते है तथा कभी-कभी हम स्वंय किसी व्यवसायिक संस्था के मालिक बनकर बैंक संस्था या अन्य किसी को सीधे कॉल कर ई-मेल व मोबाइल का प्रतिरूपण कर छल के माध्यम से झांसे में लेकर अपने बताये हुए किसी भी खाते मे पैसा ट्रांसफर करा लेते है। इसी प्रकार हमने अब से करीब 20 - 25 दिन पहले यहा की बैंक आफ बडौदा मे मैनेजर को फोन कर करीब 10 लाख रूपये ट्रांसफर करा लिये थे। यह हमारा सारा सामान मोबाईल फोन, बैंक पासबुक, फर्जी आधार कार्ड, एटीएम कार्ड आदि चीजे हमारे द्वारा ऑनलाईन ठगी करने के काम मे ही आती है और यह जो नकदी हमारे पास है यह वही पैसा है जो हमने बैंक आफ बडौदा, बिजनौर के मैनेजर के साथ फ्राड करके मधु पत्नी सुभाष निवासी राजीव कॉलोनी मोहन नगर गाजियाबाद व एक अन्य व्यक्ति के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मे खाता खुलवाकर उसमें ट्रांसफर कराया था व उन खातो का एटीएम व पासबुक हमारे पास थे। उन्ही खातों में पैसा आने के बाद हमने एटीएम से 03 लाख रुपये निकाल लिये थे व 03 लाख का सोना गंगा ज्वेलर्स शहादरा, दिल्ली से खरीद लिया था तथा उस सोने को हम दोनो ने सहमति से मुथुट फाईनेंस करावल नगर मे छुपाने के उद्देश्य से लोन करा लिया था।

नोट – सोने की बरामदगी हेतु विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.धर्मवीर पुत्र देवीदीन निवासी मकान नं0 591 ग्राम बम्हौरी बेलदारान थाना चरखारी जनपद महोबा हाल निवासी डी-48 मुख्यमार्ग गोकुलपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली

2.बंटी पुत्र राजकुमार निवासी म0नं0 179 गली नं0 1 नई सभापुर गुजरान करावल नगर उत्तर पूर्वी दिल्ली

बरामदगी –

एक लाख चौसठ हजार रूपये नगद, 48 मोबाईल फोन, 18 आधार कार्ड, 05 पैन कार्ड, 05 बैंक पासबुक, 09 बैंक चैकबुक, 03 पहचान पत्र, 16 बैंक डेबिट कार्ड, 01 डोंगल, 584 पासपोर्ट साइज फोटो, 13 ड्राईविंग लाईसेन्स, 30 मोबाईल सिमकार्ड, 02 माईक्रो एसडी कार्ड, 01 पम्पलेट तथा 03 लाख 90 हजार रुपये खाते में फ्रीज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर –

1.श्री अर्जुन सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 369 विवेक तोमर थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर

3.कां0 15 जैनुल मलिक थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर

4.कां0 239 निशान्त यादव थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर

प्रभारी स्वाट / सर्विलांस मय टीम